दिनांक 20.05.2006 को मुख्यालय पर सम्पन्न निर्माण कार्यो की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

क0	एजेन्डा बिन्दु	कार्यवाही/कार्यकारी आदेश
1.	उपस्थिति	संलग्न के अनुसार।
2.	सम्बोधन	विगत वर्षो की आडिट आपत्तियों के निस्तारण की प्रगति समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गये कि अभिलेखों के आधार पर आडिट आपत्तियों का निस्तारण प्राथमिकता पर करा दिया जाये। यह भी देखा जाये कि किसी एक प्रकृति की आडिट आपत्ति यदि किसी खण्ड में निस्तारित की जा चुकी है, तो उसी के आधार पर अन्य खण्डों की समान प्रकृति की आडिट आपत्तियां निस्तारित करा ली जायें। बैठक में कई निर्माण खण्ड बरेली, कानपुरनगर एवं गाजियाबाद द्वारा यह जानकारी दी गई कि आडिट आपत्तियां निस्तारित हो चुकी हैं फिर भी उनके प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिये गये हैं। निर्देश दिये गये कि वित्त नियन्त्रक, उप निदेशक (आडिट) के साथ बैठक करके ऐसे प्रकरणों को चिन्हित कराकर शासन को सूचना भेज दें, ताकि आडिट आपत्तियों की संख्या में कमी हो सके। अन्य अनिस्तारित आडिट आपत्तियों के निस्तारण हेतु उप निदेशक (निर्माण) को निर्देश दिये गये कि वे आडिट आपत्तियों का निस्तारण प्राथमिकता पर करायें। निर्माण खण्डों में जनरेटर आदि की आपूर्ति एवं स्थापना के कार्य में ठेकेदार को 10 प्रतिशत का लाभांश दिया जा रहा है जबकि आपूर्ति की गई मशीनरी को सीधे निर्माणकर्ता/फर्म से क्रय किया जाये तो 10 प्रतिशत ठेकेदार को लाभांश नहीं देना पड़ेगा। निर्देश दिये गये कि वित्तीय नियमों का परीक्षण कर अन्य विभागों में इस सम्बन्ध में प्रचलित प्रक्रिया का विवरण मगॉ लिया जाये तथा इस पर आगे क्या कार्यवाही की जाये इस हेतु निम्न समिति विचार कर अपनी आख्या/संस्तुति उपलब्ध करायें ताकि यथोचित कार्यवाही कराई जा सके। 1. अपर निदेशक (प्रशासन), मण्डी परिषद। 2. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद। 3. मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद। गोरखपुर के निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जांच की प्रगति की जानकारी में उप निदेशक (निर्माण) गोरखपुर द्वारा बताया गया कि जिलाधकारी गोरखपुर द्वारा जाचं करा ली गई है। जांच आख्या अभी अप्राप्त हैं निर्देश दिये गये जिलाधिकारी गोरखपुर से जांच आख्या मंगाकर उस पर यथोचित कार्यवाही शीघ्र की जाये। ठेकेदार से निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप निर्माण कार्य कराया जाये। यदि कोई ठेकेदार इन निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है तो सम्बन्धित उप निदेशक (नि0) ठेकेदार के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं आवश्यकता होने पर ठेकेदारो के विरूद्व कार्यवाही हेतु अपनी संस्तुति मुख्यालय को उपलब्ध करायें।
3.	सूचना का अधिकार	बैठक में सूचना के अधिकार के सम्बन्ध में दिनांक 18.04.06 को निर्गत परिषद आदेशों के अनुपालन की प्रगति की जानकारी किये जाने पर सभी उप निदेशक (निर्माण/वि0यां0 द्वारा अनुपालन किये जाने की पुष्टि की गई।
4.	निर्माणाधीन कार्यो की प्रगति समीक्षा	गत वर्ष 2005–06 तक के अवशेष 101 कार्यो के सापेक्ष माह अप्रैल, 06 में मात्र 11 कार्य पूर्ण हो सके हैं। निर्देश दिये गये कि उच्च कोटि की गुणवत्ता सुनिशचित करते हुए समय–सीमा में कार्य पूर्ण कराये जायें, सर्वाधिक कार्य विद्युत यांत्रिक खण्ड, लखनऊ व गाजियाबाद में अवशेष हैं। सम्बन्धित उप निदेशक (वि0/यां0) द्वारा बताया गया कि अधिकतर विद्युत के कार्य निर्माणाधीन मण्डी स्थलों से सम्बन्धित हैं। इन कार्यो की निविदायें या तो आमंत्रित की जा चुकी हैं अथवा स्वीकृत की जा चुकी है। सिविल कार्य पूर्ण होने पर विद्युत कार्य सम्पन्न करा लिये जायेगें। वर्तमान में 20 मण्डी स्थलों का कार्य निर्माणाधीन है। किसी भी खण्ड द्वारा इन कार्यो को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण होने में कोई कठिनाई नहीं बताई गई। निर्माणाधीन नवीन सम्पर्क मार्गो की प्रगति समीक्षा में पाया गया कि अवशेष 214 कार्यो के सापेक्ष माह अप्रैल, 06 में 51 निर्माण कार्य पूर्ण कराये गये हैं। सर्वाधिक निर्माणाधीन कार्य, फर्रूखाबाद, गोरखपुर एवं इलाहाबाद खण्ड के अन्तर्गत हैं। सम्बन्धित निर्माण खण्डों द्वारा बैठक में आश्वस्त किया गया कि यह सभी कार्य 30 जून, 06 तक पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जायेगा। विगत वर्ष के 30 नग सम्पर्क मार्गो के मरम्मत कार्यो के सापेक्ष 07 नग मार्ग

क0	एजेन्डा बिन्दु	कार्यवाही / कार्यकारी आदेश
		माह अप्रैल, 6 में पूर्ण कराये गये हैं। मरम्मत के 23 नग सम्पर्क मार्ग अवशेष हैं इन्हे भी माह, जून, 06 तक पूर्ण किये जाने मे कोई कठिनाई नहीं बताई गई। गत वर्ष के अवशेष 161 लोहिया ग्रामों के सापेक्ष 27 नग लोहिया ग्रामों का निर्माण कार्य माह अप्रैल, 06 मे पूर्ण कराया गया अवशेष 134 नग लोहिया ग्राम निर्माणाधीन हैं। इनको भी माह, जून, 06 तक पूर्ण किये जाने में कोई कठिनाई नहीं बताई गई। निर्देश दिये गये कि इन कार्यो को मानसून आने से पूर्व पूर्ण करा लिया जाये।
5.	भूमि अधिग्रहण प्रगति।	गत बैठक में भूमि चयन हेतु हेतु चेक लिस्ट बनाने तथा भूमि चयन समिति में सचिव व सभापति मण्डी समिति को सदस्य के रूप मे सम्मिलित किये जाने की प्रगति के सम्बन्ध में उपनिदेशक (प्रशा0–एच0) द्वारा बैठक में बताया कि चेक लिस्ट पहले से ही निर्गत है। निर्देश दिये गये कि चेक लिस्ट के साथ विचार विमर्श कर लिया जाये यदि कोई बिन्दु बढ़ाया जाना है तो संशोधित चेक लिस्ट जारी कराई जाये। भूमि चयन समिति में सचिव, व सभापति मण्डी समिति को सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव शासन को भेजकर शासनादेश निर्गत कराये जाने हेतु प्रयास किये जाये। (कार्यवाही उपनिदेशक (प्रशा0–एच0) द्वारा)
6.	अनुशासनिक कार्यवाही की प्रगति	मुख्य अभियन्ता स्तर पर 14 तथा अधीक्षण अभियन्ता स्तर पर 37 अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बन्धित जॉचे लम्बित है। बैठक में मुख्य अभ्यिन्ता द्वारा बताया गया कि दो जॉचे पूर्ण करके आख्या प्रशासन अनुभाग को भेज दी गई है। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा बताया गया कि 37 में से 10 में पूर्व में ही जॉच आख्या प्रशासन अनुभाग को भेजी जा चुकी है। इस प्रकार अवशेष संख्या–27 है जिनके सापेक्ष 04 जॉचे पूर्ण करके प्रशासन अनुभाग को भेजी गई है। निर्देश दिये गये कि प्रशासन अनुभाग द्वारा सूची संशोधित कर ली जाय। जॉच अधिकारी यह प्रयास करें कि सबसे अधिक समय से लम्बित जॉच को प्राथमिकता पर निस्तारित कर लिया जाय।

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(देवेश चतुर्वेदी)
मण्डी निदेशक

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0
किसान मण्डी भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांकः मु0अभि0 / बैठक / 2006– दिनांक : .2006

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर निदेशक (प्रशासन), मण्डी परिषद, मुख्यालय।
2. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
3. मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
4. उपनिदेशक(प्र0–वी0) / (एच0) मण्डी परिषद मुख्यालय।
5. अधीक्षण अभियन्ता मण्डी परिषद, मुख्यालय।
6. समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद मुख्यालय।
7. श्री सत्येन्द्र तिवारी, कम्प्यूटर प्रोग्रामर को परिषद पत्रांक क0से0 / वेब साइट / 2006–1054 दिनांक 03 फरवरी, 2006 के क्रम में एक हार्ड एवं साफ्ट कापी सहित इस निर्देश के साथ कि तत्काल इसे परिषद के वेब साइट www.upmandiparishad. in पर डालने का कष्ट करें।
8. आदेश / गार्ड फाइल।

मण्डी निदेशक